

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

(जी-3 राजमहल रेजीडेन्सीयल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)


क्रमांक:प.8(क)(वि.स.)(01)डीएलबी/21/ 1713

दिनांक: 11-2-2022

आदेश

श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निर्देशानुसार आयुक्त, नगर निगम (समस्त) राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने सम्बन्धित उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग कार्यालय को उनके चाहे जाने पर विभिन्न पत्रावलियों पर विधिक टिप्पणी हेतु एक कुशल एवं अनुभवी पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार तुरन्त प्रभाव से उपलब्ध करावें। ऐसे सभी पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकारों की नियुक्ति अलग से नहीं की जायेगी एवं ना ही अतिरिक्त मानदेय देय होगा तथा उनका मासिक पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान एवं फीस आदि समस्त भुगतान सम्बन्धित नगर निगम स्तर से देय होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(संजय माथुर)


वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

दिनांक: 11-2-2022

क्रमांक:प.8(क)(वि.स.)(01)डीएलबी/21/1714-1735

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
5. आयुक्त, नगर निगम (समस्त) राजस्थान।
6. प्रोग्रामर/आई.टी. सैल, निदेशालय जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।



वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी